कार्यालय मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः–2767/11–सी–FP / UP / Others / 23859 / 2017, लखनऊः दिनांकः मई 22 ,2017

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
गोण्डा वन प्रभाग,
गोण्डा।

विषयः– जनपद–गोण्डा के अर्न्तगत गोण्डा–फैजाबाद मार्ग (एस0एच0–30) के किमी0 79–80 के मध्य दांयी पटरी पर गाटा संख्या–342 ग्राम वन घुसरा, तहसील–तरबगंज, में बी0पी0सी0एल0 द्वारा प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के आवागमन में प्रभावित 0.075028 हे0 संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– वन संरक्षक, देवीपाटन वृत्त, गोण्डा का पत्रांक–3988 / 11–सी, दिनांक–17.05.2017

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त विषयगत प्रस्ताव का परीक्षण किया गया। जिसमें परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव के आनलाईन एवं हार्डकॉपी में निम्नलिखित कमियॉ / अभिलेखों का आभाव पाया गयाः–

1– वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, भारत सरकार द्वारा लगाई गयी मानक शर्तो के मान्य होने का प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।

2– प्रस्तावित वनभूमि का प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित Geo Refferenced Digital Map संलग्न है, किन्तु के0एम0एल0 फाइल शेप की सी0डी0 ओपेन नहीं हो रही है।

3– क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत 100 वृक्षों का वृक्षारोपण मार्ग के किनारे दोनो पटरियों पर प्रस्तावित है, जो भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार भविष्य में मार्ग चौड़ीकरण होने के कारण रोड साइड वृक्षारोपण स्वीकार्य नहीं है। अतः वन ब्लाक में स्थल चयनित कर 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित विस्तृत प्राक्कलन संलग्न कर, आनलाईन अपलोड करें।

4– क्षतिपूरक वृक्षारोपण पर होने वाले व्यय वहन से सम्बन्धित प्रमाण पत्र / वचनबद्वता संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।

5– क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित संशोधित स्थल का प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित Geo Refferenced Digital Map के0एम0एल0 फाइल शेप की सी0डी0 सहित संलग्न करें।

6– क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित संशोधित स्थल का प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित व चिन्हित 1:50000 माप का रंगीन मानचित्र संलग्न कर, आनलाइन अपलोड करें।

7– क्षतिपूरक वनीकरण हेतु संशोधित चयनित स्थल का उपयुक्तता प्रमाण–पत्र भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप में संलग्न करें।

8– प्रस्तावित वनभूमि का एन0पी0वी0 एवं संशोधन के उपरांत एन0पी0वी0 में बढ़ोत्तरी की धनराशि जमा किये जाने की वचनबद्वता संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।

9– ईको–क्लास के अनुसार एन0पी0वी0 की गणना संलग्न है किन्तु दर त्रुटिपूर्ण आगणित की गई है। अतः 803000/– हे0 की दर से गणना आगणित कर, संलग्न करें।

10– भूमि स्वामित्व वाले विभाग (लो0नि0वि0) द्वारा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की गाइड लाइन दिनांक 24.07.2013 के अनुसार अनुमोदित ले आउट प्लान संलग्न नही है।

11– भारत सरकार के पत्रांक एफ0नं0–11–268 / 2014–एफ0सी0, दिनांक 11.07.2014 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप प्रस्ताव तैयार कर आख्या / प्रमाण–पत्र संलग्न नही है।

12– वन अधिकार अधिनियम–2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु आनलाईन अपलोड नहीं है।

13– आनलाईन भाग–2, Additional information details में कोई प्रमाण पत्र अपलोड नहीं है। अतः आवश्यक प्रमाण पत्र अपलोड करें।

14– हार्डकापी भाग–2, कमांक–7(8) व कमांक–7(9) में त्रुटिपूर्ण डाटा अंकित किया गया है। अतः कमांक–7(8) में "भूक्षरण के लिए संवेदनशील नहीं है" तथा कमांक 7(9) में "शून्य" अंकित करें।

15– आनलाईन भाग–2, कमांक–7 में 10 किमी0 फीड है, जो त्रुटिपूर्ण है। यहाँ शून्य अंकित करें।

कृपया किसी कार्यदिवस में अपने कार्यालय प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्ताव प्राप्त कराकर, इंगित कमियों के निराकरण के पश्चात् पूर्ण प्रस्ताव इस कार्यालय को 02 प्रतियों में उपलब्ध करायें, ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(वाई0एस0के0 शेषुकुमार)
मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः–2767/11–सी– FP / UP / Others / 23859 / 2017, दिनांकित।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वन संरक्षक, देवीपाटन वृत्त, गोण्डा ।
2. श्री अभिनव साहू, विकय अधिकारी (रिटेल) भारत पेट्रोलियम कार्पो0 लि0, गोण्डा।

(वाई0एस0के0 शेषुकुमार)
मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

ACY- 1099